residential accommodation to working men and women;

(b) if the reply be in the nagative, is there any proposal for construction of such hostels this year; and

(c) if the reply be in the affirmative, whether there is any plan for providing funds or grants for the construction of more such hostels, State-wise, during the year 1977-78?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) State-wise, the number of hostels in the general pool of accommodation for working men and women is as under:—

	Number of combined hostels for working men and women	Number of hostels exclusively for working women
Delhi (Delhi)	5	1
Bombay (Maharashtra)	1	Nil
Simla (Himachal Pradesh)	1	Nil
Calcutta (West Bengal)	1	Nil
TOTAL	8	1

(b) and (c). One hostel with 84 suites is under construction at Calcutta. During the current year, there is a proposal, not yet sanctioned, for the construction of one hostel with 72 suites in Bombay and ons hostel with about 176 suites in New Delhi.

Chairman, I.I.T.

1855. DR. SUBRAMANIAM SWAMI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether he made a statement in Madras that he had asked an I.I.T. Chairman to resign;

(b) whether the Government have a *prima facie* case against this chairman;

(c) if so, the nature of the charges against the Chairman; and

(d) the name of the Chairman, or the I.I.T. of which he is Chairman?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). It would not be in the public interest to disclose information at this stage.

बेघर लोगों के लिये आवास की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजना

1856. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बेघर लोगों की संख्या कितनी है और क्या सरकार बेघर लोगों के लिये आवास की व्यवस्था करने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा किये गये एक अनुमान के अनुसार, देश में पांचवीं योजना के शुरू में अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 को 156 लाख मकानों की कमी थी—ग्रामीण क्षेत्रों में 118 लाख तथा नगरीय क्षेत्रों में 38 लाख मकान ।

पांचवीं योजना में जिस कार्यक्रम पर मुख्य रूप से बल दिया गया है वह समाज के पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारना है । विभिन्न आवास योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिये विभिन्न निष्पादन अभिकरणों द्वारा मकानों का निर्माण करके और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आरम्भ करके इसे पूरा करने का प्रयास किया जाता है । आवास स्थलों के आवंटन के लिये पात्र लगभग 112 लाख परिवारों में से 31 मार्च, 1977 तक 71.06 लाख परिवारों को आवास स्थलों का आवंटन किया जा चुका था ।

राजस्थान के थार मरुस्थल का विकास

1857. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने राजस्थान के थार रेगिस्तान के विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) इस क्षेत्र में अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में कितनी मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). वर्तमान पद्धति के अनुसार, केन्द्रीय सहायता विशिष्ठ परियोजनाओं, योजनाओं से जुड़ी हुई नहीं है यह राज्यों को उनकी अपनी-अपनी वार्षिक योजनाओं के लिए एक मुश्त धनराशि के रूप में दी जाती है जोकि 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में वंटित की जाती है । इस तरह, केन्द्र द्वारा राजस्थान में थार रेगिस्तान के विकास हेतु विशेष रूप से दी गई केन्द्रीय सहायता का पता लगाना सम्भव नहीं है ।

रेगिस्तान का कठोर क्रोड क्षेत्र राजस्थान के 11 जिलों में है अर्थात बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चुरु, जोधपुर, जालोर, पाली, झुनझुनु (चिरावा तथा झुनझुनु तहसीलें) गंगानगर तथा सिकार । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों के विकास हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं जिनमें वनरोपण, भू-संरक्षण, घास के मैदानों का विकास, चरागाह विकास की योजनाएं शामिल है, बाड़मेर तथा जैसलमेर के जिलों में 117.25 लाख रुपए की अनुमानित लागत से आरम्भ की गई थीं । इसके अलावा, राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा रेगिस्तानी जिलों में मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वनरोपण, ग्रामीण संचार आदि जैसे श्रम प्रधान कार्यों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 14.43 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे ।

पहले पैरा में उल्लिखित 11 जिलों में से, पहले 9 जिलों की सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिलों को केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर अंशदान के आधार पर कुल 39.90 करोड़ रुपए का आवंटन दिए जाने की संभावना है । कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है और यह कृषि, पशु तथा डेरी विकास, वनरोपण, सिंचाई तथा भूगत जल उपयोग, ग्रामीण, विद्युतिकरण तथा पेयजल आपूर्ति जैसे